

मध्यप्रदेश शासन  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक/I/897749/2026(1138282)  
प्रति

भोपाल, दिनांक 22-03-2026

कलेक्टर  
जिला - \_\_\_\_\_ (समस्त)

विषय: रबी 2025-26 में सरसों हेतु भावांतर योजना के अंतर्गत पंजीकृत कृषकों के गहन सत्यापन एवं योजना प्रारंभ की संशोधित तिथि के संबंध में।

कृपया अवगत हों कि रबी 2025-26 में सरसों हेतु भावांतर योजना के अंतर्गत कृषकों के पंजीयन के परीक्षण में यह परिलक्षित हुआ है कि कतिपय जिलों में, अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पंजीयन हो रहे हैं। केवल पात्र किसानों को योजना अंतर्गत भावांतर का लाभ प्राप्त हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए योजना अंतर्गत पंजीकृत समस्त किसानों के सत्यापन में अत्यधिक गहन एवं सावधानीपूर्वक कार्यवाही की जाने अपेक्षा है।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि योजना का क्रियान्वयन पंजीयन के गहन सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत प्रारंभ किया जाएगा। तदनुसार, योजना के प्रारंभ की तिथि पूर्व निर्धारित दिनांक 23 मार्च 2026 के स्थान पर संशोधित कर दिनांक 01 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि सरसों भावांतर योजना अंतर्गत पंजीकृत समस्त किसानों के डिजिटल क्रॉप सर्वे (Digital Crop Survey) एवं अन्य भू-अभिलेखों का गहन एवं सावधानीपूर्वक सत्यापन सुनिश्चित किया जाए, ताकि अपात्र / त्रुटिपूर्ण किसान पंजीयन को समय रहते चिन्हित किया जा सके। सुनिश्चित करें कि दिनांक 31 मार्च 2026 तक पंजीकृत समस्त किसानों का सत्यापन कार्य पूर्ण कर लिया जाए तथा इस कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए।

(अवनीश मिश्रा)  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
मध्यप्रदेश शासन  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

प्र. क्रमांक/#DocumentNumber#(1138282) भोपाल, दिनांक 22-03-2026

प्रतिलिपि - कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

- 1- अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन।
- 2- विशेष सहायक, माननीय मंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग।
- 3- निज सहायक, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
- 4- अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त, मंत्रालय, भोपाल।
- 5- संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, संचालनालय, भोपाल।
- 6- प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
मध्यप्रदेश शासन  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग